SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विभिन्न प्रकार के पोषक योजनाओं का समीक्षात्मक वर्णन

दिव्या रानी, शोधार्थी, गृहविज्ञान विभाग,
तिलकामाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
दिव्या रानी, शोधार्थी, गृहविज्ञान विभाग,
तिलकामाझी विश्वविद्यालय,
भागलपुर, बिहार, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/12/2020
Revised on : -----
Accepted on : 08/12/2020
Plagiarism : 05% on 01/12/2020

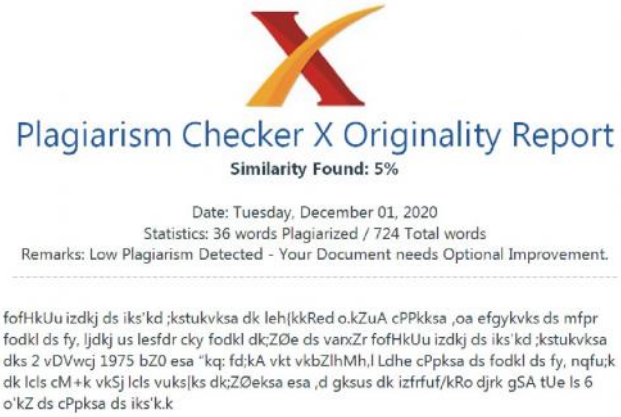

शोध सार

बच्चों एवं महिलाओ के उचित विकास के लिए सरकार ने समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक योजनाओं को 2 अक्टूबर 1975 ई0 में शुरू किया। आज आईसीडीएस स्कीम बच्चों के विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में एक होने का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। यह कार्यक्रम छह साल से कम उम्र के बच्चों को पूरक आहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच रेफरल सेवाएँ प्रदान करता है।

मुख्य शब्द

स्वास्थ्य, ICDS, पोषण, आहार, कुपोषण, अंत्योदय योजना।

गैर औपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य एवं 15–45 वर्षों के महिलाओं को पोषण शिक्षा प्रदान करता है। बालक के सर्वांगिण विकास में पोषण की भूमिका पर परिचर्चा करें तो बालक के उचित पोषण की शुरूआत बालक के गर्भ में आते ही शुरू हो जाती है। गर्भधारण के दौरान माता द्वारा लिया गया उत्तम एवं संतुलित पोषक आहार बालक के सुपोषण एवं स्वास्थ्य की प्रथम कुंजी है। बच्चों के विकास को बढावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और समन्वय स्थापित किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना विभिन्न उद्देश्यों के साथ 1975 में शुरू किया गया था। छोटे बच्चों के अलावा किशोरियों और वंचित समुदाय के समुहों की महिलाओं के अन्तर सम्बंधी जरूरतों को आईसीडीएस पूरा करती है।

अंत्योदय योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना और ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम जैसे अन्य सेवा इसके अंतर्गत आते है। बालक के सर्वांगिण विकास पोषण तथा स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार बेहद सजग एवं जिम्मेदार है। सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाऐं बालक के पोषण एवं विकास को ध्यान में रखकर चलाई गई है। समेकित बाल विकास योजना, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना एवं ऑगन–बाड़ी योजना इसमें शामिल है। गर्भकालीन अवस्था में पोषण के महत्व को लेकर भी हमारी सरकार अनेक योजनाएँ एवं संस्थाएँ चला रही है। सरकार द्वारा चलाये जाने वाली जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं अन्य प्रावधान के आधार पर 16 हजार रूपये की धन राशि दो किश्तों में प्रदान करती है। आंगनबाड़ी संस्था के सेविकाएं घर–घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार जैसे अण्डा, सोयाबीन कैल्शियम युक्त आहार प्रदान करती है। उनकों पोषण के महत्व के बारे में अवगत कराती है। ग्रामीण क्षेत्रो में गर्भकालीन माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आशा नामक संस्था बहुत स्थानों में कार्यरत् है। निम्न वर्ग की महिलाएँ जिन्हें सही पोषण नहीं प्राप्त हो सकता है, ऐसी संस्थाएँ उनका पूरा ख्याल रखती है एवं उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

जनसंख्या के रूप में सन् 2008–2009 में आईसीडीएस केन्द्रो पर कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकारियों को सम्मिलित करता है। अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गुणवतापूर्ण आहार मानक के अनुकूल उपलब्ध हो जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को इससे नई दिशा मिलती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करानेवाली महिला को पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रू. का भूगतान 3 किश्तों आधार–वेस्ट पेमेंट सिस्टम से किया जाता है। पोषण योजना को आकार देने में नीति आयोग का विशेष योगदान है। इस अभियान का संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह कुपोषण के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान की शुरूआत अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, इसके प्रभाव सहित, महिला से सम्बंधित पोषक योजनाओं के व्यापक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सितम्बर 2018 को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें सामाजिक व्यवहार में बदलाव और संवाद पर विशेष ध्यान दिया गया है। पोषण अभियान के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग द्वारा टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (TSU) की स्थापना की गई है। नीति आयोग पोषण अभियान के लिए शोध नीति निर्धारण और तकनीति सहायता प्रदान करता है। नीति आयोग प्रत्येक 6 माह में पोषण अभियान के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सौंपता है। बच्चों एवं महिलाओं का पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हो एवं इनके मृत्यु दर में कमी आए यह इस योजना का उद्देश्य है।

निष्कर्ष

आईसीडीएस परियोजना केन्द्रिय सरकार द्वारा प्रायोजित एक बहु–आयामी एवं सफल योजना है। इस योजना के अर्न्तगत 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों गर्भवती महिलाओं आदि के स्वास्थ, पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ अनुपुरक आहार, अनौपचारिक शिक्षा एवं पोषण स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी आती है। यही नहीं इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को समय–समय पर लगने वाले टीकाकरण की समुचित व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। गरीब एवं असमर्थ महिलाओं को दवा, पोषक आहार एवं समुचित आयोजित धन प्रदान करना भी इस योजना में शामिल है। ICDS के अर्न्तगत कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाऐं जैसे आंगनबाड़ी, आशा आदि गर्भापरांत स्तनपान, बालको के पालन–पोषण एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी भी प्रदान करती है।

अतः ICDS केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक बहुआयामी परियोजना है, जो महिला एवं बाल विकास के लिए पूर्णतः कार्यरत् है।

संदर्भ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिलाओं और विकास विभाग। वार्षिक रिपोर्ट 1995–96 पार्ट–4 भारत सरकार नई दिल्ली।
2. टंडन, बी.एन., (1989), प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से हस्तक्षेप के माध्यम में पोषाहार भारत में आईसीडीएस परियोजनाओं के प्रभाव, 67: 70–80।
3. बनर्जी, (1998), आईसीडीएस कार्यक्रम को मजबूत बनाना, 30: 77–106।
4. टंडन, बी.एन., कपिल, यू., (1991), आईसीडीएस योजना माँ एवं बच्चो का स्वास्थ्य, भारतीय बाल चिकित्सा के विकास के लिए एक कार्यक्रम, 28: 14–25–1428।
5. आई. सी. डी. एस, मृत्युदर पोषण स्तर।

****